वस्तु एवं सेवा कर(जी0एस0टी0): स्वतन्त्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार

प्रीति पन्त
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
बी॰एस॰एन॰वी॰ पी॰जी॰ कॉलेज, लखनऊ–226001, उ0प्र0, भारत
pritipant@gmail.com

प्राप्त तिथि–31.07.2017, स्वीकृत तिथि–21.09.2017

सार– वस्तु एवं सेवा कर(जी0एस0टी0) बिल पर लम्बी चर्चा के पश्चात् अन्ततः भारत मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा कर सुधार हुआ। 30 जून, 2017 की मध्यरात्रि को भारत सरकार ने जी0एस0टी0 का शुभारम्भ करके इसे वैधानिक रूप से लागू किया। यह स्वतन्त्र भारत के सत्तर वर्षो का सबसे बड़ा कर सुधार है जो एशिया की इस तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के आधुनिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। जी0एस0टी0 को 'एक राष्ट्र एक कर' के सिद्धान्त का पालन करने की मंशा से लागू किया गया है। जी0एस0टी0 ने भारतीय संघीय तन्त्र को राजकोषीय संघवाद से सहकारी संघवाद की ओर उन्मुख किया है। यह अनेक प्रकार के करों का विलयन है एवं इसके लागू होने से अप्रत्यक्ष कर संरचना (केन्द्र व राज्य दोनो स्तर पर) के सरलीकरण की अपेक्षा की जा रही है। प्रस्तुत लेख जी0एस0टी0 के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। जी0एस0टी0 मे सरकार, उद्योगों, व उपभोक्ताओं का निहित अर्थ व अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों को भी दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त जी0एस0टी0 की व्यवहारिक कठिनाईयों का भी संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

बीज शब्द– कर सुधार, राजकोषीय संघवाद, सहकारी संघवाद, अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर(जी0एस0टी0)।

Goods & Services Tax(GST): Biggest Tax Reform In Independent India

Preeti Pant
Assistant Professor, Department of Commerce
B.S.N.V. P.G. College, Lucknow-226001, U.P., India
pritipant@gmail.com

Abstract- After a marathon debate on Goods & Services Tax (GST) bill finally India witnessed the biggest tax reform after her independence. At the midnight of 30th June, 2017 GST was launched and legally enforced by the Indian Government. It is the biggest tax reform in independent India in last 70 years and will help to modernise Asia's third largest economy. GST is passed to imply the principle of "One Nation One Tax". GST has oriented the Indian federal system from fiscal federalism to cooperative federalism. It is replacing the multiple layers of complex taxation currently existing in India and expected to result in simplification of indirect tax structure (at both Centre and State level). Present article includes several aspects of GST. A sincere effort has been made to highlight the implications of GST for government, industries and consumers alongwith its probable effects on the economy. Besides, practical difficulties related to GST have also been discussed in brief.

Key Words-Tax reform, Fiscal federalism, Cooperative federalism, Indirect tax, Goods & Services Tax (GST).

1. **प्रस्तावना–** अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "अर्थशास्त्र" मे कौटिल्य ने राष्ट्र के कर तन्त्र को "मूल्यांकन मे उदार व संग्रह मे क्रूर" करने का सुझाव दिया है। अतः यह आवश्यक है कि समय–समय पर यथोचित कर सुधार किए जायें। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे कर तन्त्र का निर्माण होना चाहिए जो कि आर्थिक रूप से सक्षम, प्रयोग में तटस्थ, प्रशासन में सरल, एवं न्यायपूर्ण रूप से विभाजित हो। प्रयोग में तटस्थता से आशय निर्माण व वितरण के लिए आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्था को नजरअंदाज कर उत्पाद के अन्तिम खुदरा मूल्य पर समान दर से कर लगाने से है।[1] इसी श्रृंखला में करों की खण्ड़ित व छितरी हुई प्रकृति को दूर करने व वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान दर से कर लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) को सम्पूर्ण भारत में लागू किया। विश्व के लगभग 140 से अधिक राष्ट्रों मे जी0एस0टी0 के माध्यम से करारोपण किया जा रहा है। कर वंचन को रोकने के लिए 1954 में जी0एस0टी0 लागू करने वाला फ्रांस विश्व का प्रथम राष्ट्र है। जहाँ अनेक राष्ट्र एकल जी0एस0टी0 मॉडल पर कार्य कर कर रहे हैं वही ब्राजील, कनाड़ा इत्यादि राष्ट्र दोहरे जी0एस0टी0 मॉडल का अनुसरण करते हैं। अधिकतर यूरोपियन राष्ट्रों ने जी0एस0टी0 को 70 से 80 के दशक के मध्य लागू किया। यहाँ पर जी0एस0टी0 की दर एक अहम भूमिका का

निर्वहन करती है। विश्व के अनेक राष्ट्र कर की इस दर को युक्तिसंगत बनाये रखने के लिये प्रयासरत व संघर्षरत है। विश्व के सभी राष्ट्रों मे जी0एस0टी0 की दर सामान्यतः 15 से 20 प्रतिशत के मध्य है।

कनाड़ा ने जी0एस0टी0 के दोहरे मॉडल को वर्ष 1991 में 5 प्रतिशत की दर के साथ लागू किया। भारत में भी इसी दोहरे मॉडल का अनुसरण किया गया है।[2] यह दोहरा मॉडल उस संघवादी तन्त्र की सोच का परिणाम है जो केन्द्र व राज्य दोनों को अप्रत्यक्ष करों के रोपण व प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। इस मॉडल के अर्न्तगत कर लगाने वाले समस्त अधिकार क्षेत्रों मे एक समान दर से करारोपण किया जाता है। इसी क्रम में सरकार ने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0), राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0), केन्द्र शासित वस्तु एवं सेवा कर (यू0टी0जी0एस0टी0), व एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0) को लागू किया है। चित्र–1 में निर्माताओं द्वारा वस्तुओं की पूर्ति पर केन्द्र को सी0जी0एस0टी0, राज्य के भीतर के व्यापार पर राज्य को एस0जी0एस0टी0, व अर्न्तराज्यीय व्यापार पर आई0जी0एस0टी0 के तहत कर दिया गया है। यह दोहरे मॉडल का प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसके अर्न्तगत केन्द्र व राज्य दोनों ही करारोपण करते हैं।

2. **जी0एस0टी0 को लागू करने का औचित्य–** भारत एक संघीय राज्य है। अतः राजकोषीय संघवाद के अर्न्तगत सार्वजनिक व्ययों एवं करारोपण के दायित्वों का विभाजन सरकार में विभिन्न स्तरों(केन्द्र व राज्य) के आधार पर किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में करारोपण से सम्बन्धित नियम व प्राविधान तीन सूचियों मे विभक्त है– प्रथम सूची में 14 मद (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर इत्यादि), द्वितीय सूची में 19 मद (कृषि आय पर कर, भूमि कर, वाहन कर, भवन कर, चुंगी व आगत कर, टोल कर, विलासिता कर– मनोरंजन कर इत्यादि), व तृतीय सूची(समवर्ती सूची जिसमें कर का इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं है)। करारोपण व कर संग्रहण से सम्बन्धित संवैधानिक प्राविधान केन्द्र व राज्य के मध्य करारोपण की व्यवस्थित व समन्वित संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संविधान राज्यों को केन्द्र द्वारा एकत्रित संसाधनों को बांटने का अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कुछ प्राविधान इस प्रकार हैं[3]–

- राज्यों को सौंपे गये वे कर, जिनका रोपण व संग्रहण केन्द्र करता है
- राज्यों द्वारा संग्रहित व संचित वे कर, जिनका रोपण केन्द्र करता है
- कुछ विशिष्ट करो से प्राप्त आय का बंटवारा
- राज्यों को केन्द्र से प्राप्त आर्थिक सहायता
- किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्राप्त सहायता

जी0एस0टी0 लागू करने से पूर्व भारत मे करारोपण की यही व्यवस्था कार्यरत थी परन्तु इस व्यवस्था में अनेक दोष थे जिनके कारण एक ऐसे कर तन्त्र की आवश्यकता अनुभव हुई जो कि सुदृढ, प्रशासन व समझने में सरल, निचले वर्ग के लिये हितकारी, व न्यूनतम बलिदान पर अधिकतम कल्याण प्रदान करने वाला हो। जी0एस0टी0 लागू होने के बाद यह तन्त्र कुछ इस प्रकार होगा–

- केन्द्र द्वारा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0) का रोपण व संग्रहण किया जायेगा।
- राज्यों द्वारा अपने राज्य के भीतर की वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) का रोपण व संग्रहण किया जायेगा।
- अर्न्तराज्यीय वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर केन्द्र द्वारा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0) का रोपण किया जायेगा इस राजस्व का विभाजन केन्द्र व उस राज्य के मध्य होगा जिसके द्वारा उन वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जायेगा।
- केन्द्रीय/राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जी0एस0टी0 लागू होने से राज्यों को होने वाले राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

जी0एस0टी0 लागू होने से भारत में सहकारी संघवाद का उदय हुआ है जो इस प्रकार है[4]–

- राजकोषीय संघवाद के अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों के आधारभूत सम्बन्धों को नये सिरे से परिभाषित किया गया है।
- जी0एस0टी0 काउन्सिल के कारण जनता के अधिकतम कल्याण के लिये जी0एस0टी0 को लागू किया गया है।
- राज्यों को दो तिहाई व केन्द्र को एक तिहाई का प्राप्त मताधिकार संघवाद की उदार भावना का द्योतक है।
- जी0एस0टी0 ने संघवाद की शक्ति व उसके संकल्प को नया आयाम प्रदान किया है।
- जी0एस0टी0 'एक राष्ट्र, एक आकांक्षा, एक दृढ़ संकल्प' के सिद्धान्त को चरितार्थ करता है।

जी0एस0टी0 को लागू करने का सरकार का औचित्य पूर्व मे लागू कर व्यवस्था के दोषों को दूर करना है जो कि इस प्रकार है–

1. करों की खण्डित प्रकृति एवं केन्द्र व राज्यों के मध्य करों के रोपण व संग्रहण की अस्पष्टता कर प्रशासन को जटिल बना देती है।
2. यद्यपि केन्द्र व राज्य करों के प्रशासन के लिये नवीन, आधुनिक, व संशोधित तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं तथापि वर्तमान कर व्यवस्था में विवाद निपटारा प्रक्रिया अत्यन्त जटिल व अधिक धन एवं समय खर्च करने वाली है।
3. अनेक अप्रत्यक्ष करों के रोपण से कर व्यवस्था करदाताओं के लिए समझने मे कठिन व भ्रम उत्पन्न करने वाली है।
4. कराधान के प्राविधानों व कर की दरों मे एकरूपता न होने के कारण करदाताओं को कर निर्धारण व कर भुगतान में कठिनाई होती है।
5. कर अधिनियमों व निर्धारक प्रशासनिक अधिकारियों की बाहुल्यता के कारण व्यापारियों को कर सम्बन्धी औपचारिकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है।
6. नई तकनीक व नवीनीकरण के युग में वस्तुओं एवं सेवाओं के मध्य अन्तर समाप्त होता जा रहा है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वस्तुओं एवं सेवाओं मे अन्तर करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिये कॉपीराइट, पेटेन्ट, सॉफ्टवेयर इत्यादि को वस्तु माना जाता है परन्तु करारोपण की दृष्टि से इनका वस्तु या सेवा के रूप में वर्गीकरण कर अधिकारियों के मध्य अत्यन्त विवादास्पद है।
1. किसी परिस्थिति विशेष में कुछ लेन देनों की प्रकृति(विक्रय या सेवा) निर्धारित करना कठिन है। उदाहरण के लिये पट्टेदार को उपकरण/मशीनरी व उसके नियन्त्रण के अधिकार का हस्तान्तरण किये बिना पट्टे पर उपकरण/मशीनरी देना विक्रय है या सेवा?
2. उत्पादन पर पूर्णतया केन्द्रित उत्पाद शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित किसी भी वस्तु के लागत मूल्य पर लगाया जाता है। खुदरा मूल्य पर कर न लगाये जाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि होती है(खुदरा मूल्य सामान्यतः लागत मूल्य से अधिक होता है)।
3. वस्तु या सेवा, विक्रय या सेवा, उत्पादित या खुदरा मूल्य, स्थानीय या राज्य व्यापार यह समस्त मुद्दे कराधान के संकीर्ण आधार को दर्शाते हैं।
4. उत्पाद शुल्क व सेवा कर विधान में निर्मिताओं या सेवादाताओं द्वारा किये गये CENVAT क्रेडिट के दावे के सत्यापन की कोई व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण कर तन्त्र में पारदर्शिता का अभाव है।
5. किसी भी वस्तु के उत्पादन या वितरण श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर कर लगाया जाता है जो न केवल उस वस्तु विशेष के मूल्यों मे वृद्धि करता है अपितु "कर पर कर" लगाये जाने के कारण अप्रजातान्त्रिक भी है। कर विवर्तन के कारण करों के इस व्यापक प्रभाव का अन्ततः मूल्य उपभोक्ताओं को वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत के रूप मे चुकाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस परिस्थिति में टैक्स क्रेडिट का स्वरूप व उसके लाभार्थियों का निर्धारण करना भी कठिन हो जाता है।
6. तीव्रता से वृद्धि करने वाले उपभोक्ता व्यय के अवयवों पर करारोपण करने के अधिकार से वंचित राज्यों को सीमित कर योग्य संसाधानों के कारण स्वयं सृजित कर संसाधानों पर निर्भर होना पड़ता है।

उपरोक्त समस्त कारणों से वर्तमान कर व्यवस्था में अनेक विवाद व समस्यायें उत्पन्न होती थी जिन्हें दूर करने के लिए एक नवीन व चिर अपेक्षित कर सुधार की तीव्र आवश्यकता अनुभव हुई।

3. **जी0एस0टी0 की रूपरेखा–** 30 जून, 2017 की मध्यरात्रि से वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) के लागू होने की घोषणा के साथ भारतीय कर विधान में एक नवीन युग का शुभारम्भ हुआ। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी व तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने बटन दबाकर इस ऐतिहासिक कर सुधार का आगाज किया। प्रधानमन्त्री ने जी0एस0टी0 को गुड्स एण्ड सर्विसिस् टैक्स के स्थान पर गुड एण्ड सिम्पल टैक्स की संज्ञा प्रदान की। इस प्रकार 1 जुलाई, 2017 से केन्द्रीय/राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जी0एस0टी0 को सम्पूर्ण भारत मे लागू किया गया। जी0एस0टी0 के लागू होने का घटनाक्रम बुद्धिजीवियों के अनेक वर्षों के अथक प्रयासों का फल है। यह सत्रह वर्षों के जी0एस0टी0 बिल के राज्य सभा, लोक सभा, व राज्यों की विधानसभाओं में बहुमत प्राप्ति के संघर्ष की कहानी है।

सारिणी–1: जी0एस0टी0 लागू होने का घटनाक्रम

वर्ष	प्रमुख घटनायें
1986	श्री राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल में तत्कालीन वित मंत्री श्री वी0 पी0 सिंह ने बजट में आबकारी कराधान संरचना में सुधार के लिए जो सुझाव दिये थे, वे सैद्धान्तिक रूप से जी0एस0टी0 के समान थे।
2000	तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई ने जी0एस0टी0 पर विचार–विमर्श करने के लिए पं0 बंगाल के वित मंत्री श्री असीम गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
2004	वित मंत्रालय के सलाहकार श्री विजय केलकर ने जी0एस0टी0 द्वारा वर्तमान कर व्यवस्था को बदलने का सुझाव दिया।
2006	जी0एस0टी0 को पहली बार बजट भाषण में सम्मिलित किया गया व तत्कालीन वित मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम ने 1 अप्रैल, 2010 तक जी0एस0टी0 को लागू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया।
2007	तत्कालीन वित मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में सशक्त समिति द्वारा जी0एस0टी0 के रोडमैप तैयार करने का आश्वासन दिया।
2008	सशक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट, "ए मॉडल एण्ड रोडमैपः गुड्स एण्ड सर्विसिस् टैक्स (जी0एस0टी0) इन इण्डिया", सरकार को सौंपी।

2009	सशक्त समिति ने जी0एस0टी0 पर वाद विवाद के लिए जनता के समक्ष चर्चा हेतु एक पत्र जारी किया।
2010	सरकार ने वाणिज्यिक करों के कंप्यूटरीकरण के लिए प्रोजेक्ट की शुरूआत की। वित मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने जी0एस0टी0 को 1 अप्रैल, 2011 तक के लिए टाल दिया।
2011	लोकसभा में जी0एस0टी0 लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे बाद मे वित्त सम्बन्धी स्थाई समिति को भेजा गया।
2012	वित्तमंत्री व राज्य मंत्रियों ने 31 दिसम्बर, 2012 तक विधेयक से सम्बन्धित मुद्दों को सुलझाने का संकल्प लिया।
2013	तत्कालीन वित मंत्री श्री पी0 चिदम्बरम ने जी0एस0टी0 के विधेयक से सम्बन्धित मुद्दों के सुलझने व जी0एस0टी0 के लागू होने से राज्यों को होने वाली हानि के लिए 9000 करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति की घोषणा की। स्थाई समिति ने संसद मे विधेयक में सुधार से सम्बन्धित सुझाव दिये परन्तु पन्द्रहवीं लोक सभा के भंग हो जाने से यह विधेयक कालातीत हो गया।
2014	कैबिनेट ने जी0एस0टी0 के संविधान संशोधन विधेयक (122वें) को मंजूरी दी। तदुपरान्त यह विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
2015	संशोधन विधेयक (122वें) को लोक सभा में पारित किया गया। इसके बाद इसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया जहाँ से इसे राज्य सभा व लोक सभा की संयुक्त समिति में भेजा गया। राज्य सभा में विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार विपक्ष का सहयोग प्राप्त करने में असफल रही।
2016	राज्य सभा में संविधान संशोधन विधेयक को दो तिहाई बहुमत से पारित किया गया।
2017	1 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया।

इस प्रकार सत्रह वर्षो के उतार चढ़ाव व वाद–विवाद की बुद्धिशीलता(ब्रेनस्टॉर्मिंग) के पश्चात् अन्ततः जी0एस0टी0 01जुलाई, 2017 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। जी0एस0टी0 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

1. जी0एस0टी0 से सम्बन्धित किसी भी मामले पर निर्णय लेने का अधिकार जी0एस0टी0 काउन्सिल को प्राप्त है जिसके अध्यक्ष देश के वित्तमंत्री (वर्तमान–श्री अरूण जेटली) होगें।
2. जी0एस0टी0 को 101 संविधान संशोधन अधिनियम के अर्न्तगत लागू किया गया है।
3. जी0एस0टी0 का क्षेत्रीय प्रसार सम्पूर्ण भारत में है। अन्य अधिनियमों के विपरीत इसके अधिकार क्षेत्र मे जम्मू व कश्मीर राज्य को भी सम्मिलित किया गया है।
4. जी0एस0टी0 काउन्सिल के अन्तर्गत कर की दर केन्द्र व राज्य की परस्पर सहमति से निम्नलिखित अधिनियमों के अनुसार किया जायेगा–

- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0)
- राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0)
- केन्द्र शासित वस्तु एवं सेवा कर (यू0टी0जी0एस0टी0)
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0)

5. जी0एस0टी0 को लागू करके सरकार ने केन्द्र व राज्य के सत्रह अप्रत्यक्ष करों(सीमा शुल्क को छोडकर) को हटा दिया है। यह कर इस प्रकार हैं–

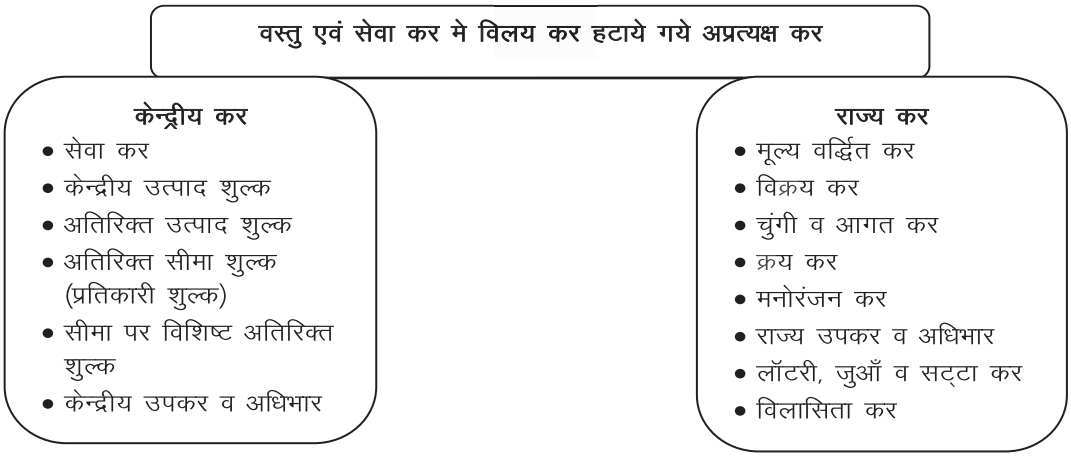

चित्र–4: जी0एस0टी0 मे विलय कर हटाये गये अप्रत्यक्ष कर

1. गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क(जी0एस0टी0एन0) एक गैर–लाभ, गैर–सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जो कि जी0एस0टी0 के अर्न्तगत करदाताओं को पंजीयन, रिटर्न फाइल व कर भुगतान करने का वेब पोंटल प्रदान करती है।

इन्फोसिस को जी0एस0टी0एन0 के वेब पोर्टल के प्रबन्ध सेवादाता के रूप में नियुक्त किया है। जी0एस0टी0एन0 के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं–

- पंजीयन, रिटर्न फाइल व कर भुगतान की सुविधा प्रदान करना
- केन्द्र व राज्य सरकारों को एम0आई0एस0 रिपोर्ट उपलब्ध कराना
- केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य फण्ड ट्रांसफर का लेखाकर्म करना
- अधिकृत बैंकों के ब्यौरे का कर भुगतान के साथ मिलान करना
- कर के भुगतान, प्रत्यावर्तन, व पुर्नदावे के मिलान के तन्त्र का संचालन करना

2. जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कर की चार स्लैब दर रखी गयी है– 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, व 28 प्रतिशत। सर्वसाधारण की आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त रखा गया है। वहीं कीमती धातुओं पर 3 प्रतिशत व कीमती पत्थरों पर 0.25 प्रतिशत कर लगाया जायेगा।

3. जी0एस0टी0 में मानवीय उपभोग के लिए प्रयुक्त अल्कोहॉल को छोड़कर(संवैधानिक कारणों से) समस्त वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त पाँचों पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन फ्लूड, व प्राकृतिक गैस) को भी जी0एस0टी0 के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है जिसे आगे जी0एस0टी0 काउन्सिल के सुझावों के आधार पर जी0एस0टी0 में सम्मिलित किया जा सकता है।[5]

4. जी0एस0टी0 के अन्तर्गत अन्तिम बिन्दु पर कर लगाये जाने से राज्यों(विशेषकर उत्पादक राज्य) को होने वाले राजस्व हानि के लिये क्षतिपूर्ति योजना की व्यवस्था है जिसके अर्न्तगत वे 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

5. पूर्व कर व्यवस्था के विपरीत जी0एस0टी0 उद्गम बिन्दु के स्थान पर अन्तिम बिन्दु पर करारोपण के सिद्धान्त पर आधारित है।

6. जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कर किसी भी वस्तु या सेवा की पूर्ति पर लगाया जाता है ना कि वस्तु या सेवा की लागत या विक्रय मूल्य जैसा कि पूर्व कर व्यवस्था में होता था।

7. निर्माण, विक्रय, या सेवा के पहलू पर ध्यान न देते हुए जी0एस0टी0 निम्नलिखित को छोड़कर समस्त वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जायेगा–

- छूट प्राप्त वस्तुऐं व सेवायें–सी0जी0एस0टी0 व एस0जी0एस0टी0 की साधारण सूची मे शामिल
- जी0एस0टी0 के दायरे से बाहर की वस्तुऐं व सेवायें
- कर मुक्त सीमा से कम का टर्नओवर(कर मुक्त आय 20 लाख रूपये है)

8. वस्तुओं के आयात पर उचित सीमा शुल्क के अतिरिक्त एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर(आई0जी0एस0टी0) के अधीन अर्न्तराज्यीय आपूर्ति के रूप में भी कर देय होगा। इसी प्रकार सेवाओं के आयात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0) के अधीन रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देय होगा।

9. जी0एस0टी0 के अन्तर्गत करदाता की करदेयता इस प्रकार निर्धारित होगी–

- 20 लाख रूपये (कर मुक्त आय) से अधिक का वार्षिक टर्नओवर कर योग्य होगा। इस सन्दर्भ में जी0एस0टी0 काउन्सिल ने उत्तर पूर्वी राज्यों व पर्वतीय राज्यों में कर मुक्त वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रूपये निश्चित किया है।[5]
- वस्तुओं व सेवाओं की समस्त अर्न्तराज्यीय पूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0) के अन्तर्गत कर देय होगा।
- राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं व सेवाओं की समस्त पूर्ति पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी0जी0एस0टी0) व राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0) के अन्तर्गत कर देय होगा।

10. निर्यात संवर्द्धन के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस0ई0जेड0) के निर्यात व वहाँ की जाने वाली पूर्ति कर मुक्त है।

11. जी0एस0टी0 के अन्तर्गत करदाता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर के स्व–निर्धरण, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन भुगतान इत्यादि के प्राविधान है।

12. कर रिसाव व कर वंचन को रोकने के लिये पंजीकृत व्यक्तियों की कर योग्य आय व कर देयता के अंकेक्षण व कर देयता व कर भुगतान के मिलान इत्यादि के कठोर प्रावधान है।

13. व्यवसायियों पर कर बोझ के कम होने का उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिये मुनाफाखोरी के भी विरूद्ध प्राविधानों को भी अधिनियम में शामिल किया गया है।

13. जी0एस0टी0 से वर्तमान करदाताओं को जोड़ने के लिये विशेष ट्रान्जिशनल प्रावधान(transitional provisions) रखे गये है।

4. जी0एस0टी0 के सम्भावित प्रभाव–

"जी0एस0टी0 कर चोरी पर दूसरी प्रमुख सर्जिकल स्ट्राइक है जो ना सिर्फ अधिक से अधिक व्यापारियों को कर दायरे में लायेगी व वस्तुओं के राष्ट्र के भीतर के प्रवाह को निर्बाध करेगी वरन् एकल कर व एकीकृत बाजार के माध्यम से विदेशी विनियोक्ताओं को भी आकर्षित करेगी।"

—टी0एन0 अशोक[6]

1. **कर व्यवस्था की दृष्टि से–**

➢ वस्तुओं व सेवाओं पर लगने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण
➢ कम छूट के साथ सरल कर व्यवस्था
➢ समस्त राष्ट्र में कर सम्बन्धी नियमों, प्रक्रियाओं, एवं दरों में एकरूपता
➢ वस्तुओं व सेवाओं की साझा वर्गीकरण प्रणाली से कर प्रबन्धन मे सुनिश्चितता
➢ समान कर व्यवस्था को लागू करके कर वसूली की प्रक्रिया को सुधारना
➢ पारदर्शी कर व्यवस्था के कारण कर वंचन की समस्या से मुक्ति

2. **अर्थव्यवस्था की दृष्टि से–**

➢ 'एक राष्ट्र एक कर' के सिद्धान्त के कारण प्रशासन में सरलता व सुगमता
➢ राष्ट्र में संयुक्त व साझा बाजार का निर्माण
➢ उत्पादकों व उपभोक्ताओं के लिए समान अवसर
➢ वस्तुओं व सेवाओं का निर्बाध प्रवाह
➢ कर संग्रहण की लागत घटने व अनुपालन में सरलता के कारण अधिक राजस्व प्राप्ति का अनुमान
➢ आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से नए रोजगारों का सजृन
➢ कर अनुपालन एवं व्यापार करने में सरलता के कारण घरेलू व विदेशी निवेशक भारत में निर्माण निवेश के लिए प्रेरित होंगे जो एक ओर सकल घरेलू उत्पादन(जी0डी0पी0) को बढ़ायेगा।
➢ अल्पविकसित राज्यों द्वारा किये गये अन्तर्राज्यीय व्यापार पर लगने वाले 2 प्रतिशत कर भार को हटाने से इन राज्यों में उत्पादन व निर्माण क्रियाओं को बढावा।
➢ पूर्व कर प्रणाली में निर्यातकों को निर्यात सम्बन्धी उत्पादन के लिये किये गए कच्चे माल के आयात पर पड़ने वाले दोहरे करारोपण(आयातित कच्चे माल पर आयात करारोपण + निर्मित तैयार माल पर निर्यात करारोपण) में एक की कर वापसी की सुविधा प्राप्त थी परन्तु केन्द्र व राज्य के मध्य करों की खंडित प्रकृति के कारण कुछ विशिष्ट करों की वापसी नहीं हो पाती थी। जी0एस0टी0 अधिनियम लागू होने से एक कर की देयता के कारण इस प्रकार की कर वापसी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यह पहल निश्चित रूप से निर्यात संवर्द्धन में सहायक होगी।

3. **उपभोक्ताओं की दृष्टि से–**

➢ रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं (जैसे–दूध, फल, ब्रेड, सब्जियाँ, शहद, माँस, मछली, पोल्ट्री इत्यादि) के कर मुक्त होने से आम आदमी की इन वस्तुओं तक पहुँच सुनिश्चित होना।
➢ अप्रत्यक्ष करों के एकीकरण के कारण उपभोक्ताओं पर कर विवर्तन की प्रक्रिया से पड़ने वाले सम्पूर्ण कर बोझ का कम होना।
➢ एकल व पारदर्शी कर व्यवस्था होने के कारण वस्तुओं के मूल्यों पर सरकार का अधिक नियन्त्रण रहेगा (अप्रत्यक्ष करों की एकीकरण द्वारा) जिससे कि मुद्रा स्फीति की दर नीची होगी। जी0एस0टी0 लगने के बाद 81 प्रतिशत वस्तुओं के मूल्य कम होने की अपेक्षा है।
➢ विलास साधन वस्तुओं पर अधिक कर व आधारभूत वस्तुओं को कर मुक्त करके सरकार ने प्रजातान्त्रिक कर व्यवस्था का अनुपालन कर गरीब व 'आम आदमी' को अधिकतम लाभ प्रदान किया है।

4. **व्यापारियों की दृष्टि से–**

➢ अनेक अप्रत्यक्ष करों के एकीकरण से इन करों **की देयता** से मुक्ति
➢ कर के व्यापक प्रभाव से मुक्ति
➢ अनुपालन में सरलता के कारण व्यापार करने में आसानी होगी जो व्यापारियों को नये–नये उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा
➢ पंजीयन, रिटर्न फाइल, कर भुगतान, व कर वापसी की एक समान प्रक्रिया होने के कारण करदाताओं को लाभ
➢ निर्माता/आपूर्तिकर्ताओं से खुदरा विक्रेता तक टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह से करो पर कर का उन्मूलन
➢ देश के किसी भी हिस्से में मौजूद छोटे व्यापारियों के लिए कर मुक्ति व कम्पोजिशन स्कीम से लाभान्वित होने के समान अवसर
➢ कर लेन देन में सुगमता के कारण व्यापार की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता में वृद्धि
➢ संरचना व दर में एकरूपता के कारण व्यापारियों को भावी व्यापारिक व निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने में सरलता
➢ निर्यात को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रतियोगी बनाने के लिये करों का ज्यादा बेहतर निष्प्रभावीकरण

5. **जी0एस0टी0 से सम्बन्धित व्यवहारिक कठिनाइयाँ–** किसी भी सुधार या नवीन तकनीक को पूर्ण रूप से लागू करने में कुछ व्यवहारिक समस्यायें उत्पन्न होती है जो कि स्वाभाविक है। बदलते परिवेश व मापदण्डों के अनुसार तन्त्र में अनुकूलन क्षमता उत्पन्न करना सबसे बड़ी चुनौती है। सुधार या तकनीक की सफलता इन्हीं चुनौतियों के समाधान पर निर्भर करती है। जी0एस0टी0 के रूप में यह नया कर सुधार इन चुनौतियों का अपवाद नहीं है। यहाँ पर सरकार की भूमिका इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है कि शीघ्रातिशीघ्र इन समस्यायों व चुनौतियों का निराकरण किया जाये। कुछ प्रमुख समस्यायें/चुनौतियाँ इस प्रकार है–

1. जी0एस0टी0 को लेकर जनता में उत्साह से अधिक भ्रम, संशय, अस्पष्टता, व जागरूकता का अभाव है। सरकार को इस सम्बन्ध में जी0एस0टी0 के लिये सरकारी स्तर पर अधिकाधिक कौशल केन्द्रों की व्यवस्था करनी चाहिये।
2. प्रजातान्त्रिक कर व्यवस्था का हवाला देते हुए सरकार ने जी0एस0टी0 के रूप में बहु कर–दरों को लागू किया है।
3. केन्द्र व राज्यों के मध्य हटाये गये अप्रत्यक्ष करों की क्लबिंग के नियमों में अस्पष्टता है।
4. जी0एस0टी0 से सम्बन्धित समस्त निर्णय लेने के अधिकार जी0एस0टी0 काउन्सिल पर केन्द्रित हैं।
5. समस्त वस्तुओं को जी0एस0टी0 के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है जैसे–एल्कोहॉल, तम्बाकू इत्यादि।
6. जी0एस0टी0 निर्माण नही वरन् उपभोग के बिन्दु पर लगाया जाता है परन्तु उपभोग के स्थान का निर्धारण करना कठिन है।
7. राज्यों के 5 वर्षों के राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिये केन्द्र द्वारा 3 वर्षों का आश्वासन प्रदान किया है। यह मुददा अभी भी अनिर्णित है।[7]
8. संसद व राज्य विधानसभाओं को प्राप्त कर का दर निर्धारण के संवैधानिक अधिकार के विरूद्ध जी0एस0टी0 बिल, 2016 में एक क्लॉज रखा गया है जिसके अनुसार जी0एस0टी0 की दर को 20 प्रतिशत की रेंज तक बदलने के लिये सरकार को संसद में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।[8]
9. किसी व्यक्ति द्वारा व्यापारिक उददेश्य से कुछ समय के लिये किसी राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने पर उसकी पंजीकरण सम्बन्धी औपचारिकता का क्या होगा यह अस्पष्ट है।
10. जी0एस0टी0 के अर्न्तगत राज्यों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह को ट्रैक करना एवं राजस्व की मॉनीटरिंग, वसूली, व बकाएदारों के सूचीयन के लिये सशक्त इन्फ्रास्ट्रचर का निर्माण करना आवश्यक है।
11. जी0एस0टी0 के अर्न्तगत कर विवादों के निपटारे के लिये एक संयुक्त वैधानिक प्रक्रिया की आवश्यकता है जिससे कि संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।
12. जी0एस0टी0 के अर्न्तगत कर निर्धारण व भुगतान ऑनलाइन होने से व्यपारियों में इन्टरनेट सम्बन्धी जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
13. जी0एस0टी0 के सफल संचालन के लिये व्यपारियों को अपनी व्यापारिक गतिविधियों व लेखांकन कार्य को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने की आवश्यकता है।

6. **निष्कर्ष–** सरकार की इस पहल का स्वागत समाज के लगभग प्रत्येक वर्ग ने किया है। इस कर सुधार को लेकर जनता के उत्साह का आकलन इससे लगाया जा सकता है कि विश्व में जनता द्वारा कर रोपण के उत्सव का यह अद्भुत दृश्य था। नया कर विधान अपने सरल व सुगम कर भुगतान प्रावधानों से अधिक से अधिक व्यवसायियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुडने के लिये प्रोत्साहित करेगा। यह सरकार के महत्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी गति प्रदान करेगा।[9] नये कर को लागू करने में जो भी समस्यायों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वह दीर्घकाल में जाकर निश्चित रूप से एक सुदृढ़, प्रभावशाली, व न्यायोचित कर व्यवस्था के रूप में फलीभूत होगा। जी0एस0टी0 के माध्यम से सरकार ने कर के आधार को व्यापक व छूट को कम करते हुये कर भार को वस्तुओं के निर्माण व सेवाओं पर समान रूप से विभाजित किया है। जी0एस0टी0 के आधुनिक, नवीनीकृत, व परिशोधित कर व्यवस्था से भारत में SMART गर्वनेंस (Smart, Moral, Accountable, Responsive, & Transparent) के जीवन्त होने की आशा है। यह कर 2 ट्रिलियन यू0एस0 डालर की भारतीय अर्थव्यवस्था में 1.3 बिलियन भारतीयों के लिए एक आम बाजार का निर्माण करेगा। जी0एस0टी0 लागू होने से कर आतंकवाद एवं इंस्पेक्टर राज पर लगाम लगने की आशा है।[10] इस प्रकार यह आशा की जाती है कि जिस दूरदर्शी अवधारणा को लेकर सरकार ने जी0एस0टी0 को लागू किया है वह न सिर्फ आम आदमी अपितु राष्ट्र के समस्त हितधारकों (सरकार, उद्योग, व उपभोक्ताओं) के लिये हितकारी सिद्ध हो।

सन्दर्भ

1. जयन्ती, आर0(2017) "ए स्टडी एबाउट गुड्स एण्ड सर्विसिस् टैक्स (जी0एस0टी0) इन इण्डिया", इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ कामर्स एण्ड मैनेजमेन्ट रिसर्च, खण्ड–3, अंक–6, मु0पृ0 164–171।
2. https://cleartax.in/s/gst-india-and-other-countries-comparison
3. https://blog.ipleaders.in/fiscal-federalism-work-india/
4. जयन्ता, चौधरी आर0(अगस्त, 2017) "बैलेनसिंग फेडरेल फिस्कल रिलेशनस्", योजना पत्रिका, भारत सरकार, मु0पृ0 31–34।
5. गुप्ता, विनीत एवं गुप्ता, एन0 के0(2016) "गुड्स एण्ड सर्विसिस् टैक्स", भारत लॉ हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पृ0 47।
6. अशोक टी0 एन0(अगस्त, 2017) 'क्रिएटिंग ए यूनीफाइड टैक्सेशन रीजीम", योजना पत्रिका, भारत सरकार, पृ0 12।
7. http://www.dekhnews.com/challenges-implementing-gst-india/
8. https://thewire.in/119853/gst-implementation-issues/
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_Services_Tax_(India)
10. सेठ, दिलासा व धस्माना, इन्दिवजल(1 जुलाई, 2017) "जी0एस0टी0: आफ्टर सेवेन्टीन इयर्स् ऑफ ब्रेनस्टॉरमिंग, इण्डिया वेकस् अप टू हिस्टॉरिक टैक्स रिफॉर्म्", बिजनेस स्टैन्डर्ड।

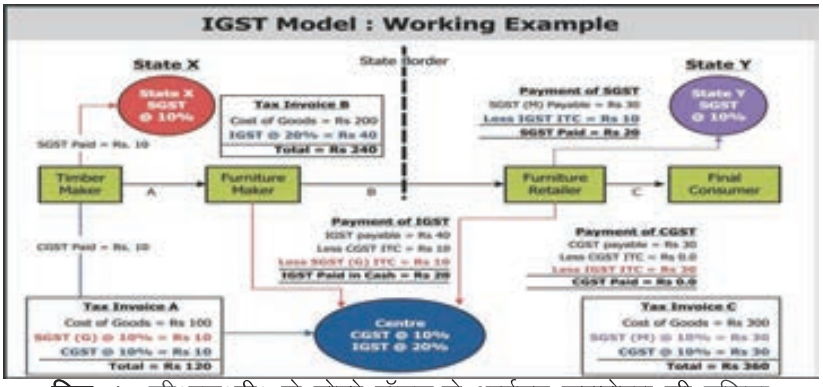

चित्र–1: जी0एस0टी0 के दोहरे मॉडल के अन्तर्गत करारोपण की प्रक्रिया

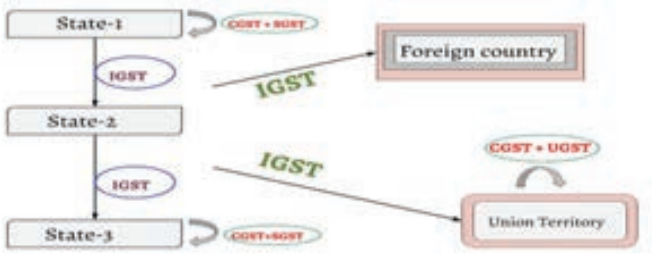

चित्र–2: सी0जी0एस0टी0, आई0जी0एस0टी0, व यू0जी0एस0टी0 **के अन्तर्गत करारोपण**

चित्र–3: भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी व प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जी0एस0टी0 का शुभारम्भ का ऐतिहासिक क्षण

चित्र–5: जी0एस0टी0 की दरों का संक्षिप्त विवरण